

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31, 1981/माघ 11, 1902
No. 53] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 1981/MAGHA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

पेट्रोलियम, रसायन और ज्वरक मंत्रालय

(रसायन और ज्वरक विभाग)

विकास आयुक्त (श्रीवधि) का कार्यालय

आवेश

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1981

का० भा० 83 (अ).—केन्द्रीय सरकार, श्रीवधि (कीमत नियन्त्रण) आदेश, 1979 के
पैरा 3 के उप पैरा (1) द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, इससे उपाबद्ध सारणी को
स्तम्भ 3 में यथा विनिर्दिष्ट कीमतों को ऐसी अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है जिस
पर उक्त सारणी के स्तम्भ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्वदेश विनिर्मित प्रयुक्त
श्रीवधियों में से प्रत्येक का विक्रय किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं०	प्रीषधि का नाम	प्रधिकृतम विक्रय कीमत रु०/कि०ग्रा०
1	2	3
		प्रतिग्राम
1.	डाइजोक्सीन	183.75
2.	टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड (पेरेन्टल)	780.10
3.	प्राक्सीटेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड	736.49
4.	प्राक्सीटेट्रासाइक्लीन बेस	696.58
5.	प्राक्सीटेट्रासाइक्लीन ग्रम्फोटेरिक बेस	839.54
6.	प्राक्सीटेट्रासाइक्लीन कैल्सियम कम्प्लेक्स	785.91
7.	डी-मेथिल-क्लोरो-टेट्रासाइक्लीन बेस	1775.45
8.	डी-मेथिल-क्लोरो-टेट्रासाइक्लीन एच सी एल	1291.34
9.	क्लोरो-टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड	645.15
10.	टेट्रासाइक्लीन बेस	675.00
11.	टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड	729.68

[सं० 8 (11)/80-प्रीषधि-II]

अ.र० एम० दास, उप-सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Fertilizers)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 28th January, 1981

S.O. 83 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column 3 of the Table hereto annexed as the maximum price at which each of the indigenously manufactured bulk drugs specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table shall be sold.

TABLE

Sl. Name of the drug No.	Maximum sale price Rs. per kg.	
1	2	3
1. Digoxin	183.75 per gram	
2. Tet: acycline Hydrochloride (Parental)	780.10 per gram	
3. Oxytetracycline Hydrochloride	736.49 per gram	
4. Oxytetracycline Base	696.58 per gram	
5. Oxytetracycline Amphoteric Base	839.54 per gram	
6. Oxytetracycline Calcium Complex	785.91 per gram	
7. De-Methyl-Chloro-Tetracycline Base	1775.45 per gram	
8. De-Methyl-Chloro-Tetracycline Hcl.	1291.34 per gram	
9. Chloro-Tetracycline Hydrochloride	645.15 per gram	
10. Tetracycline Base	675.00 per gram	
11. Tetracycline Hydrochloride	729.68 per gram	

[No. 8 (11)/80-Drug.II]

R. N. DAS, Dy. Secy.

